

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जुलाई 2015—आषाढ 22, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्र. एफ-बी-4-03-2015-2-पांच-(15).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.बी-4-03-2015-2-पांच (8) दिनांक 16 अप्रैल, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, मद क्रमांक (1) में, छूट क्रमांक (8) में, शब्द “जिला कलक्टर से, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा” के स्थान पर, शब्द “कलक्टर/तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र के आधार पर मण्डल के क्षेत्रीय सम्पत्ति अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्र. बी-4-03-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-03-2015-2-पांच-(15), दिनांक 13 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th July 2015

No. F-B-4-03-2015-2-V-(15).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F.B-4-03-2015-2-Five (8) dated 16th April 2015, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in item number (1), in exemption number (8), for the words “A certificate from the District Collector to this effect shall have to be produced”, the words “A certificate from Regional Estate Officer of the Board given on the basis of income certificate issued by the Collector/Tehsildar shall have to be produced” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.